संख्या-220/2019/2178/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर 2019

विषयः- अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 छात्र श्री गुरूनाम सिंह एवं श्री आयुष गौतम के प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु सी0पी0एल0 छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-514/स0क0/शिक्षा-अ/5/ 2019-20, दिनांक-16.05.2019 एवं पत्र संख्या-2473/स0क0/शिक्षा-अ/सी0पी0एल0/2019-20, दिनांक-27.09.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त सी0पी0एल0 छात्र श्री गुरूनाम सिंह को आगामी प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु द्वितीय किश्त की 33 प्रतिशत धनराशि रू0-8,49,000/- एवं सी0पी0एल0 छात्र श्री आयुष गौतम को सी0पी0एल0 प्रशिक्षण हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0-1105000/- अर्थात कुल धनराशि रू0-1954000/- (रू0 उन्नीस लाख चौवन हजार मात्र) के भुगतान किये जाने की अनुमति, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-220/2019/2178/(1)/26-3-2019 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।